

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 25 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के तहत आने वाली, हैवी वॉटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स की न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अंतरराज्यिक आपूर्ति पर लगाने वाले, संपूर्ण राज्य कर में छूट प्रदत्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह अधिसूचना दिनांक 21 सितम्बर, 2017 से प्रवृत्त प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव

सं० 242/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन0आई0सी0
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 842/2017/ 9(120)/XXVII(8)/2017 dated 25 October, 2017 for general information.


Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 842/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 25 October, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to exempt intra state supply of heavy water and nuclear fuels, falling in Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), by the Department of Atomic Energy to the Nuclear Power Corporation of India Ltd from the whole of the State tax leviable thereon under section 9 of the said Act

2. This notification shall deemed to have come into force with effect from 21st day of September, 2017.


(Radha Raturi)
Principal Secretary